Deg-II
History P-III

शासन के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का दृष्टिकोण

अलाउद्दीन खिलजी ने अलालुद्दीन के परोपकारिता और मानवतावाद के सिद्धांतो को यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया कि वे तत्कालीन संदर्भ मे अनुपयुक्त है एवं दुर्बल शासन को निर्दिष्ट करते है। उसने आतंक के सिद्धान्त को अपने शासन का आधार बनाना अधिक उपयुक्त समझा। इस सिद्धान्त को उसने अमीरों के साथ-साथ जनसाधारण पर भी लागू किया। इस प्रकार, उसके शासन काल के आरंभ में ही हुए दो विद्रोहों के बाद उसने अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर उपाय अपनाने का निर्णय लिया। उसने बलबन के खुफिया तंत्र को पुनः चालू किया जो उसे सभी घटनाओं की सूचना देते रहते थे। अमीरों पर एक-दूसरे से मिलने अथवा शराब की गोष्ठियां करने पर पाबंदी लगा दी। आपस में वस्तुतः वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी उन्हें सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। उसने आदेश दिया कि सभी पुण्यार्थ जमीनें, अर्थात इनाम अथवा वक्फ में दी गई जमीनें जब्त कर ली जाएं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए गये।

बरनी के विवरण से यह लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार हिन्दुओं को दरिद्र और साधनहीन बनाने के उद्देश्य से किये गये थे ताकि वे विद्रोह करने की स्थिति में न रहे।

P.To -

Scanned with CamScanner

अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान गैर तुर्कों के ~~बीच~~ विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं किया गया, बल्कि उन्हें प्रशासन में उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। यही कारण था कि अलाउद्दीन के काल में जफर खान एवं नुसरत खान तथा बाद में गुजरात में पकड़े गए एक गैर तुर्क-दास मलिक काफूर जैसे कई गैर-तुर्कों को उच्च पदों पर नियुक्त एवं पदोन्नति का अवसर मिला। मलिक नायक नामक एक हिन्दू को, जो समाना और सुनाम का हाकिम भी रह चुका था, एक ऐसी सेना की कमान सौंपी गई थी जिसने मंगोलों को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। इस सैन्य अभियान के दौरान बहुत सारे मुस्लिम अधिकारियों को उसके जीवन कार्य करने का आदेश दिया गया था। इस सेना में भारी संख्या में भारतीय मुसलमान भी थे।

Scanned with CamScanner